-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा फर्जी पुलिस आरक्षी की वर्दी के साथ 01 निलम्बित पीआरडी गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 फर्जी पुलिस आरक्षी वर्दी के साथ निलम्बित पीआरडी अभियुक्त **सुखपाल सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम बहेडी थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर** को पिलर नम्बर 10 कस्बा व थाना देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 422/2025 धारा 318(4)205 बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै पीआरडी मुजफ्फरनगर में तैनात हूँ और निलम्बित चल रहा हूँ तथा ये मोहर जो मुझ से बरामद हुयी है उन से में आवेदन करने वाले बच्चो के कागजात आदि प्रमाणित करता हूँ और विकास भवन मुजफ्फरनगर कार्यालय में आने जाने में कभी-कभी अपनी पीआरडी की वर्दी एवं यू0पी0पी0 के बैज लगाकर चला जाता हूँ और अपने कार्य करा लेता हूँ इसलिए वर्दी अपनी गाडी में रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुखपाल सिंह पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम बहेडी थाना कोतवाली नगर मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 खाकी शर्ट वर्दी यू0पी0पी0 बेज लगी हुई।
- 01 जोडी खाकी वर्दी पीआरडी बेज की लगी हुई।
- 01 मोहर हिन्दी सचिव दिनेश कुमार।
- 01 मोहर अग्रेजी OATH COMMISSIONER MUZAFFARNAGAR।

अभियुक्त का आपरधिक इतिहास

1. मु०अ०स० 292/19 धारा 406/506 भा00द0वि0 थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर।
2. मु0अ0स0 664/2018 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द सहारनपुर।
2. है०का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।
3. का0 2484 सुभाष थाना देवबन्द सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 03.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार एवं ए0एन0टी0एफ0 मेरठ की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अफीम की तस्करी कर रहे, गिरोह के 02 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 02 किलो 802 ग्राम अवैध अफीम, 02 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड एवं 7478/- रू0 नकद बरामद

अवगत कराना है कि राज्य पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ए.एन.टी.एफ. यूनिट मेरठ एवं सदर बाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 सक्रिय तस्कर **1-संगीता देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह निवासी मकान संख्या 64, वार्ड 14, झीटकाही, पोस्ट- फुलकाहां, थाना श्यामपुर भटहा, जनपद शिवहर, बिहार, 2-धीरज कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह निवासी मकान संख्या 64, वार्ड 14, झीटकाही, पोस्ट- फुलकाहां, थाना श्यामपुर भटहा, जनपद शिवहर, बिहार** को विश्वकर्मा चौक के पास रेलवे ब्रिज के निचे, पेपर मिल रोड़ से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से 02 किलो 802 ग्राम अवैध अफीम (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 28 लाख रुपये) व 02 मोबाइल फोन, 01 आधार कार्ड एवं 7478/- रू0 नकद बरामद हुए । इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार, जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0 285/2025 धारा 8/18/29 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1-संगीता देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण सिंह निवासी मकान संख्या 64, वार्ड 14, झीटकाही, पोस्ट- फुलकाहां, थाना श्यामपुर भटहा, जनपद शिवहर, बिहार।

2-धीरज कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मण सिंह निवासी मकान संख्या 64, वार्ड 14, झीटकाही, पोस्ट- फुलकाहां, थाना श्यामपुर भटहा, जनपद शिवहर, बिहार।

बरामदगी का विवरण –

- 02 किलो 802 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम
- 02 मोबाइल फोन
- 01 आधार कार्ड
- 7478/- रूपये नगदी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1- उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
2- हे0का0 राजेन्द्र सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
3- हे0का0 पंकज कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
4- म0हे0का0 शैली शर्मा ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
5- का0 अंकित कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

6- का0 कपिल रावत ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

7- उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

8- हे0का0 466 गौरव थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी सरसो के कट्टे, 700/- रूपये नकद व 01 अवैध छुरी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 03/07/205 को वादी श्री मुकेश पुत्र सीताराम निवासी ग्राम कुतुबखेड़ी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बावत वादी के घर में रखे सरसो के कट्टे व 5000/- रूपये अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने लेने के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-216/2025 धारा 305(a) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओ के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03/07/2025 को मुखबिर की सूचना पर चोरी की उपरोक्त घटना का अनवारण करते हुए अभियुक्त **सादिक पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को नकुड़ रोड़ पर बिजली घर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 03 सरसो के कट्टे, 700 रुपये नकद तथा 01 नाजायज छुरी बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा अवैध छुरी की बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 234/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सादिक पुत्र कय्यूम निवासी ग्राम मैनपुरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 03 प्लास्टिक के कट्टे (सरसो भरी)
- 700/- रूपये नकद
- 01 अवैध छुरी
- 01 मोटर साईकिल यूपी 19 एन 3911 (धारा 207 MV ACT मे सीज)

गिरफ्तार अभियुक्त सादिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

(1) मु0अ0सं0- 428/15 धारा 379/411 भा.द.वि चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(2) मु0अ0सं0- 589/19 धारा 392/411 भा.द.वि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
(3) मु0अ0सं0- 599/19 धारा 307 भा.द.वि चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
(4) मु0अ0सं0- 601/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
(5) मु0अ0सं0- 40/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

(6) मु0अ0सं0- 530/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(7) मु0अ0सं0- 455/2024 धारा 303(2)/317(2) बी0एन0एस0 चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(8) मु0अ0सं0-456/24 धारा 317(2)/317(5)/318(4)/336(2) बी0एन0एस0 चालानी थाना गंगोह सहारनपुर
(9) मु0अ0सं0- 51/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(10) मु0अ0सं0- 216/25 धारा 305(ए)/317(2) बी0एन0एस0 चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(11) मु0अ0सं0-234/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 258 श्री अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 362 श्री अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. कां0 326 श्री रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक 03.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी के अभियुक्त को पीसीआर पर लेकर, अभियुक्त की निशांदेही पर एटीएम से चोरी हुए 02 बैट्रे किए बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 20.06.2025 को वादी श्री अशोक कुमार शाखा प्रबन्धक P.N.B. बैंक माधोनगर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा हनुमान मंदिर के सामने स्थित एटीएम की 04 बैटरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0-101/2025 धारा- 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में पुलिस द्वारा प्रकाश मे आये अभियुक्त **नदीम पुत्र वसीम निवासी नियर फिरदौस हौजरी, न्यू मालवीय नगर, नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** जो जिला कारागार सहारनपुर मे निरुद्ध था, को जिला कारागार सहारनपुर से पुलिस अभिरक्षा मे लेकर दिनांक 03.07.2025 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्त की निशादेही पर 02 बैट्रे जिस पर exide powersafe plus को गढी मलूक आश्रम के पिछे खाली पडे मैदान में एक खण्डर से बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया गया कि मैने ही दिनाँक 17.06.2025 को जनता रोड हनुमान मंदिर के सामने स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ए0टी0एम से चार बैट्रे चोरी किये गये थे जिसमें से मैंने दो बैट्रे रेहडी पर राह चलते कबाडी को 3000/- रुपये में बेंक दिये थे और 2 बैट्रे मैंने गढी मलूक आश्रम के पिछे खाली पडे मैदान में एक खण्डर मे छुपा दिया थे जिसे मैं मौका आने पर बेच देता, किन्तु दिनांक 19.06.2025 को थाना बेहट पुलिस ने मुझे एटीएम से बैट्रे चोरी करते हुए पकड लिया था। जिसमें मुझे जेल भेजा गया था। इसलिए मैं उन बैट्रो को नही बेंच पाया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नदीम पुत्र वसीम निवासी नियर फिरदौस हौजरी, न्यू मालवीय नगर, नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0- 218/23 धारा- 379/411 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0स0- 254/25 धारा- 305(ए)/331(3)/317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0स0- 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- 02 बैट्रे (exide powersafe plus)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. है0का0 907 तरुण शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।